संख्या-12/2022/2045447/12-5099/12/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 09 मार्च, 2022**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं एवं लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 004-अनुसंधान, 03-उर्वरक नियंत्रण आदेश बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिए गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना में धन अन्तरण हेतु पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-गु0नि0-41/656/पुनर्विनियोग/2021-22, दिनांक 04.02.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजना के मानक मद 49-चिकित्सा प्रतिपूर्ति में रू0 2.00 लाख, 55-मकान किराया भत्ता में रू0 0.03 लाख, 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू0 10.00 लाख एवं लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 004-अनुसंधान, 03-उर्वरक नियंत्रण आदेश बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिए गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना योजना के मानक मद 55-मकान किराया भत्ता में रू0 0.72 लाख अर्थात कुल रू0 12.75 लाख (रू0 बारह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- वर्तमान में प्रदेश में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022, के दृष्टिगत प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत प्रकरण में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है, यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

4- जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोग करायी जा रहा है, उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

5- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर किया जायेगा।

6- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि में आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

7- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

8- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाए बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजना के मानक मद 01-वेतन, 03-महंगाई भत्ता, 09-विद्युत व्यय, 10-जलकर, 17-किराया उपशुल्क एवं लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 004-अनुसंधान, 03-उर्वरक नियंत्रण आदेश बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिए गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना योजना के मानक मद 01-वेतन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते हुए लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजना के मानक मद 49-चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 55-मकान किराया भत्ता, 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान एवं लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 004-अनुसंधान, 03-उर्वरक नियंत्रण आदेश बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिए गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोशालाओं की स्थापना योजना के मानक मद 55-मकान किराया भत्ता के नामे डाला जायेगा।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय
राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय (सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रपत्र-बी0एम0-09 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)
प्रपत्र बी0एम0-09

वित्तीय वर्ष 2021-22

(धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2401 00 105 03 00 2401-फसल कृषि कर्म 105-खाद तथा उर्वरक 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं					
01-वेतन	103.97	5.07	5.07	4.07	99.90
03-महंगाई भत्ता	31.19	5.34	5.34	5.34	25.85
09-विद्युत व्यय	11.00	1.00	1.00	1.00	10.00
10-जनकर	4.50	1.44	1.44	1.44	3.06
17-किराया उपशुल्क	6.00	0.90	0.90	0.90	5.10
2415 01 004 03 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 004-अनुसंधान 03- उर्वरक नियंत्रण आदेश बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिए गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना					
01-वेतन	34.47	1.00	1.00	—	34.47
योग	**191.13**	**14.75**	**14.75**	12.75	178.38

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2401 00 105 03 00 2401-फसल कृषि कर्म 105-खाद तथा उर्वरक 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं					
15-गाड़ी अनुरक्षण/पेट्रोल क्रय	2.00	4.00	2.00	0.00	2.00
49-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	4.00	6.00	2.00	2.00	6.00
55-मकान किराया भत्ता	6.90	6.93	0.03	0.03	6.93
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं का भुगतान	20.30	30.30	10.00	10.00	30.30
2415 01 004 03					

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 004-अनुसंधान 03- उर्वरक नियंत्रण आदेश बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिए गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना					
55-मकान किराया भत्ता	2.10	2.82	0.72	0.72	2.82
योग	35.30	50.05	14.75	12.75	48.05

(रूपया चौदह लाख पचहत्तर हजार मात्र)

1- स्तम्भ-2 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-3 में अंकित वचत निम्नलिखित कारणों से है:-

(अ)-01-वेतन, 03-महगाई भत्ता, 09-विद्युत, 10-जलकर, 17-किराया उपशुल्क मद में वचत उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं लखनऊ (आलमबाग, रहमानखेड़ा), वाराणसी एवं मेरठ में कार्मिकों के पद रिक्त होने, महगाई भत्ता स्थगित होने, लॉकडाउन में विद्युत खपत कम होने आदि के फलस्वरूप प्राविधान के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवश्यकता कम होने के कारण।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

(व)-लेखाशीर्षक: 2401-00-105-03 के अन्तर्गत 15-गाड़ी अनुरक्षण/पेट्रोल क्रय, 49-चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 55-मकान किराया भत्ता, 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं का भुगतान मद में तथा लेखाशीर्षक: 2415-01-004-03 के अन्तर्गत 55-मकान किराया भत्ता मद में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधान के सापेक्ष आवश्यकता अधिक होने के कारण।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिवन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्याः आर0ई0-425-ई-1-दस-2022, दिनांकः 28-2-2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(अमर चन्द्र)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

(फूल चन्द्र यादव)
अनु सचिव,
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-2045447/12-5099/12/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (वी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अमर चन्द्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।